भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण

**AIRPORTS ECONOMIC REGULATORY AUTHORITY OF INDIA**

(A Statutory Body under Ministry of Civil Aviation, Govt. of India)

F. No. AERA/Legal/Empanelment of Advocates/Law Firm 2020/2023-24/

**AERA Building,**
**Administrative Complex,**
**Safdarjung Airport,**
**New Delhi-110003**

Dated: 15/03/2024

**CORRIGENDUM-I to the Advertisement dated 08.03.2024 regarding Empanelment of Advocate/Law Firm**

In continuation and clarification of the Advertisement dated 08.03.2024, the following clarifications are hereby issued:123

**1. Eligibility for Empanelment**:

With respect to the eligibility criteria for empanelment as Advocate/Law Firm with AERA, it is hereby clarified that the Advocates registered with the Bar Council of any state in India are eligible to apply. However, since the litigation against AERA primarily lies before the TDSAT, Supreme Court of India and in the High Court of Delhi under the Writ Jurisdiction, accordingly, majority of the matters in which AERA is a party are filed in the Courts/Tribunal located in Delhi and therefore, it is mandatory that the Advocate or Law Firm shall have an office in Delhi/NCR. Applicants are required to submit any valid document validating the address of Office/Chamber of the Advocate or the office of Law Firm, in Delhi/NCR.

**2. Reimbursement for travelling, boarding and lodging expenses**

It is clarified that AERA being a Statutory Authority, it can be arrayed as party before any Court/Tribunal in India. However, as detailed in para 1 above, majority of matters in which AERA is arrayed as party are being filed in the Courts/Tribunal located in Delhi. Therefore, it is clarified that for representing AERA in the matters filed in any Court/Tribunal in Delhi, no travelling, boarding, lodging expenses will be paid/reimbursed to the Advocate/Law Firm irrespective of the fact whether the Advocate/Law Firm is registered with the Bar Council of Delhi or is registered with the Bar Council of any other State in India or otherwise. Other Terms & Condition will be as per the advertisement.

These clarifications are issued for the information of all the concerned applicants and are to be read in conjunction with the Advertisement dated 08.03.2024.

**(Dr. Kamlesh Kumar)**
Deputy Chief

**भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण**

**AIRPORTS ECONOMIC REGULATORY AUTHORITY OF INDIA**

(नागर विमानन मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन सांविधिक निकाय)

**(A Statutory Body under Ministry of Civil Aviation, Govt. of India)**

**फा. सं. ऐरा/लीगल/इंपैनलमेंट ऑफ एडवोकेट/लॉ फर्म 2020/2023-24**

**F.No. AERA/Legal/Empanelment of Advocate/Law Firm 2020/2023-24**

ऐरा भवन,
प्रशासनिक कॉमप्लेक्स,
सफदरजंग हवाईअड्डा,
नई दिल्ली -110003

दिनांक: 15 मार्च, 2024

## एडवोकेट/लॉ फर्म के पैनल में शामिल होने संबंधी दिनांक 08.03.2024 के विज्ञापन का शुद्धिपत्र -I

### 1 पैनल में शामिल होने के लिए पात्रता:

ऐरा में एडवोकेट/लॉ फर्म के रूप में पैनल में शामिल होने के लिए पात्रता मानदंड के संबंध में, यह स्पष्ट किया जाता है कि भारत के किसी भी राज्य की बार काउंसिल में पंजीकृत एडवोकेट आवेदन करने के लिए पात्र हैं। परंतु, चूंकि ऐरा के खिलाफ मुकदमा मुख्य रूप से टीडीएसएटी, भारत के सर्वोच्च न्यायालय और रिट क्षेत्राधिकार के तहत दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष होते हैं, इसलिए तदनुसार, अधिकांश ऐसे मामले, जिनमें ऐरा एक पक्षकार है, वे दिल्ली स्थित न्यायालयों/अधिकरण में दायर किए जाते हैं, और इसलिए यह अनिवार्य है कि एडवोकेट या लॉ फर्म का कार्यालय दिल्ली/एनसीआर में हो। आवेदकों को दिल्ली/एनसीआर में एडवोकेट के कार्यालय/चैंबर या लॉ फर्म के कार्यालय के पते को वैध बताने वाला कोई भी वैध दस्तावेज जमा करना आवश्यक है।

### 2 यात्रा, आवास एवं भोजन के खर्चों की प्रतिपूर्ति

यह स्पष्ट किया जाता है कि एक सांविधिक प्राधिकरण होने के कारण ऐरा को भारत के किसी भी न्यायालय/अधिकरण के समक्ष एक पक्षकार के रूप में रखा जा सकता है। परंतु, जैसा कि ऊपर पैरा-1 में बताया गया है, अधिकांश ऐसे मामले, जिनमें ऐरा को पक्षकार के रूप में रखा गया है, वे दिल्ली स्थित न्यायालयों/अधिकरण में दायर किए जा रहे हैं। इसलिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि दिल्ली के किसी भी न्यायालय/अधिकरण में दायर मामलों में ऐरा का प्रतिनिधित्व करने के लिए, एडवोकेट/लॉ फर्म को यात्रा, आवास, भोजन के लिए किसी भी खर्च का भुगतान/प्रतिपूर्ति नहीं की जाएगी, भले ही एडवोकेट/लॉ फर्म दिल्ली बार काउंसिल में पंजीकृत हो या भारत के किसी अन्य राज्य की बार काउंसिल में या अन्यथा पंजीकृत हो। अन्य निबंधन एवं शर्तें विज्ञापन के अनुसार होंगी।

ये स्पष्टीकरण सभी संबंधित आवेदकों की जानकारी के लिए जारी किए गए हैं और इन्हें दिनांक 08.03.2024 के विज्ञापन के साथ पढ़ा जाए।

**(डॉ. कमलेश कुमार)**
उप प्रमुख, ऐरा